

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## कार्यवृत्त

दिनांक 19 अप्रैल, 2018 के अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्ष
2. प्रो० आर० सी० कटियार, प्रति-कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3. प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
4. डॉ० आर०के० गुप्ता, वाणिज्य विभाग, काइस्ट चर्च कालेज, कानपुर	सदस्य
5. डॉ० शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर	सदस्य
6. प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
7. प्रो० नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8. प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9. डॉ० नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
10. डॉ० राजेश कुमार, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
11. डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
12. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, हिन्दी विभाग, बी०जी०एम०पी०जी० कालेज, दिवियापुर, औरैया	सदस्य
13. डॉ० एन०के० बाजपेई, वाणिज्य विभाग, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर	सदस्य
14. श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	—
15. श्री एस०के० शुक्ल, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य डॉ० निरुपमा अशोक एवं डॉ० वी०के० गुप्ता को कार्य परिषद में उनके योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०-1: कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.02.2018 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार करना।

परिषद ने दिनांक 02.02.2018 की अपनी बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद सं०-2: कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.02.2018 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।


परिषद दिनांक 02.02.2018 की अपनी बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रस्तुत विवरण से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाहियों पर सन्तोष व्यक्त किया।

मद सं०-3: वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 की कार्यवाही का अनुमोदन पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट का निर्माण।

इस मद पर विचार के पूर्व सचिव, परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति प्राप्त करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार की मद के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही पर मद संख्या-3 के साथ विचार का अनुरोध किया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने स्वीकृति प्रदान की। तदोपरान्त दिनांक 18.04.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही पटल पर रखी गई। सचिव, परिषद द्वारा इस मद को प्रस्तुत करने का अनुरोध वित्त अधिकारी से किया गया।

वित्त अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2018 की कार्यवाही तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यपरिषद ने दिनांक 28.03.2018 की वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन एवं विहित प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की तथा विशिष्ट रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय व्ययक (Budget) अनुमोदित किया।

तत्पश्चात् वित्त अधिकारी द्वारा दिनांक 18.04.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही आद्योपान्त पढ़ी गई। कार्यपरिषद ने प्रस्ताव संख्या-08 में कार्यपरिषद, शोध उपाधि समिति एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ चयन समिति के वाह्य सदस्यों को जोड़ते हुए दिनांक 18.04.2018 की वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा विहित प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।





मद सं०-4: प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार करना।

परिषद ने प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद सं०-5: परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.02.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार करना।

परिषद ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.02.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद सं०-6: विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों के नामकरण व उनके वार्डन्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना प्राप्त करना तथा उसके अनुमोदन पर विचार करना।

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि महिला छात्रावास संख्या-04 का नाम 'कावरी छात्रावास' के स्थान पर 'यमुना छात्रावास' रखा जाय तथा अन्य छात्रावासों के नाम व उनके वार्डन्स के नामांकन के सम्बन्ध में कुलपति/अध्यक्षा कार्यपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया।

परिषद ने नोट किया कि पुरुष छात्रावास-शिवाजी छात्रावास में डॉ० आर०पी० सिंह के अतिरिक्त डॉ० अनिल यादव तथा डॉ० रविन्द्र नाथ कटियार भी वार्डेन नियुक्त हैं।

मद सं०-7: विश्वविद्यालय के University Institute of Engineering and Technology में कार्यरत श्रीमती ममता तिवारी, सहायक आचार्य, बी०सी०ए० की गिरफ्तारी के कारण उनके डीम्ड सस्पेंशन की सूचना प्राप्त करना तथा उनके सस्पेंशन की पुष्टि/स्वीकृति पर विचार करना।

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए श्रीमती ममता तिवारी के निलम्बन की पुष्टि की।

*Aishulele*

*Aishulele*

मद सं०-8: सत्र 2017-18 की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल की प्रगति आख्या पर विचार करना।

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए सत्र 2017-18 की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल घोषणा की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया तथा उक्त हेतु कुलपति महोदया को बधाई दी।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार करना।

1. श्री अरविन्द कुमार राय द्वारा योजित याचिका संख्या 7979/2018 में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.03.2018 के आलोक में अनुशासन समिति गठित किए जाने पर विचार।

कार्यपरिषद ने प्रकरण पर गहन विचार विमर्श किया। गहन विचार विमर्श उपरान्त परिषद ने परिणियमित व्यवस्थानुसार कुलपति की अध्यक्षता में अनुशासनिक समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें डॉ० नीरज कुमार सिंह तथा विनय कुमार सिंह, उपकुलसचिव (प्रशासन) को अनुशासनिक समिति का सदस्य नामित करने का भी निर्णय लिया।

2. बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिए) समय सारिणी क बिन्दु-3 के अन्तिम चक्र शीर्षक के अर्न्तगत अनापत्ति आदेश निर्गत किए जाने की अन्तिम तिथियों के पुनरीक्षण पर विचार तथा निर्णय लेना।

कार्यपरिषद ने प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त अन्तिम चक्र में अनापत्ति आदेश निर्गत करने, निरीक्षण मण्डल के गठन, निरीक्षण आख्या के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में निम्नांकित समय सारिणी निर्धारित की:-

- 1- अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना
- 2- निरीक्षण मण्डल का गठन
- 3- निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या को प्रस्तुत किया जाना

दिनांक: 30 अप्रैल, 2018

दिनांक: 07 मई, 2018

दिनांक: 15 मई, 2018

*Sishulele*

*[Signature]*

3. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं अध्यापकों की चयन समिति में क्रमशः धारा 31(4)(ग) के अनुसार तीन विषय विशेषज्ञ एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य की चयन समिति में अधिनियम की धारा 31(4)(ग) के अनुसार विषय विशेषज्ञ तथा शिक्षकों की चयन समिति में अधिनियम की धारा 31(4)(घ) के अनुसार विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने की व्यवस्था पर विचार।

कार्यपरिषद ने उक्त प्राविधानान्तर्गत पैनल के निर्माण तथा आवश्यकतानुसार नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

4. टीचर्स वेलफेयर फण्ड के कार्य संचालन के Ordinance से सम्बन्धित Ordinance पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

कार्यपरिषद ने संलग्न (संलग्नक-1) टीचर्स वेलफेयर फण्ड के कार्य संचालन से सम्बन्धित Ordinance पर अनुमोदन प्रदान किया।


5. सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय सम्बद्ध कर्मचारी एशोसिएशन कल्याण कोष के कार्य संचालन से सम्बन्धित Ordinance पर विचार करना तथा निर्णय लेना।


कार्यपरिषद ने संलग्न (संलग्नक-2) सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, सम्बद्ध कर्मचारी एशोसिएशन कल्याण कोष के कार्य संचालन से सम्बन्धित Ordinance पर अनुमोदन प्रदान किया।

6. वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

सचिव, कार्यपरिषद के अनुरोध पर मातृनीसा अध्यक्ष महोदया की अनुमति प्राप्त करते हुए वित्त अधिकारी द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की कार्यवाही को प्रस्तुत किया गया तथा परिषद द्वारा उपरोक्त मद संख्या -3 के साथ विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया जा चुका है।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
(एस०के० शुक्ल)  
कुल सचिव/सचिव

  
(प्रो० मीलिमा गुप्ता)  
कुलपति/अध्यक्षा

6- ORDINANCE

पत्र संख्या - 1

**CSJM University, Kanpur**

Ordinance for working of Teachers Welfare Fund

Under U.P. State University Act, 1973 sec 52 .

1- The fund shall be administered by a committee consisting of the following :-

- A. Vice Chancellor Chairman.
- B. Three nominees of the Executive Council to be selected from amongst members who are the teachers of the affiliated colleges.
- C. President, CSJM University, Kanpur Teachers Association- Ex officio
- D. Secretary, CSJM University, Kanpur Teachers Association- Ex officio
- E. One Director of a University Institute to be nominated by Vice Chancellor.
- F. One Principal of a local college to be nominated by the V.C.
- G. Finance Officer of CSJM University, Kanpur- Ex officio.
- H. The Registrar (Member, Secretary and Ex-Officio)
- I. One member from medical faculty to be nominated by the V.C.
- J. One Teacher to be nominated by the CSJM University Kanpur, Teacher Association (KUTA)

2- The term of the office of the members of the committee other than Ex-Officio members shall be two consecutive academic years (July To June) and none of these shall hold office for two consecutive years.



# ORDINANCE

खलोजनक - 2

## CSJM University, Kanpur

### Ordinance for working of CSJM Vishvavidyalaya Sambadh Karmchari Association Kalyan Kosh

Under U.P. State University Act, 1973 sec 52 .

1- The fund shall be administered by a committee consisting of the following :-

- A. Vice Chancellor Chairman.
- B. Three nominees of the Executive Council to be selected from amongst members.
- C. President, CSJM Vishvavidyalaya Sambadh Karmchari Association - Ex officio
- D. Secretary, CSJM Vishvavidyalaya Sambadh Karmchari Association- Ex officio
- E. One Director of a University Institute to be nominated by Vice Chancellor.
- F. One Principal of a local college to be nominated by the V.C.
- G. Finance Officer of CSJM University, Kanpur- Ex officio.
- H. The Registrar (Member, Secretary and Ex-Officio)
- I. One member from medical faculty to be nominated by the V.C.
- J. One Employee to be nominated by the CSJM Vishvavidyalaya Sambadh Karmchari Association

2- The term of the office of the members of the committee other than Ex-Officio members shall be two consecutive academic years (July To June) and none of these shall hold office for two consecutive years.

